



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र. १९९१/भं.शा./2026

भोपाल, दिनांक: 22 मई, 2026

प्रति,

.....
.....
.....
.....


विषय :- विश्वविद्यालय हेतु एक नग चार पहिया मालवाहक वाहन क्रय करने हेतु दरें आमंत्रित करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय हेतु एक नग नया चार पहिया मालवाहक वाहन क्रय किया जाना है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय निम्न विवरण अनुसार दरें आमंत्रित हैं :-

क्र.	सामग्री का विवरण	दर (समस्त कर सहित)
1	मालवाहक चार पाहिया वाहन की लम्बाई 12 फीट होना चाहिए।	
2	मालवाहक कन्टेनर सहित होना चाहिए।	
3	04 से 05 टन सामग्री की क्षमता वाला वाहन होना चाहिए।	
4	विश्वविद्यालय के पुराने वाहनों को वायबैक के रूप में दिया जावेगा। पुराने वाहन का अवलोकन करने के लिए भंडार शाखा से संपर्क किया जा सकता है।	

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार दरें शीघ्र भंडार शाखा को प्रदान करें, ताकि क्रय करने की कार्यवाही शीघ्र की जा सकें। साथ ही भुगतान की शर्तें एवं करों का विवरण पृथक से दर्शाए।

O/c


(डॉ. परेश उपाध्याय)
प्रभारी, भंडार